सामान्य शर्तें General Conditions

अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश General Instructions for the candidates

1. केवल भारतीय नागरिक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
   Only Indian Nationals are eligible to apply.

2. वर्तमान में, उपरोक्त सभी पद **नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र** के लिए निर्दिष्ट हैंकिंतु कारपोरेशन , की आवश्यकता के अनुसार कारपोरेशन की किसी भी इकाईसाईट/ में अथवा भारतविदेश में किसी भी स्थान पर सेवा/ के लिए तैनात किया जा सकता है।

   Presently, all above mentioned posts are identified for **Narora Atomic Power Station** but carries with it the liability to serve in any of the units/Sites of the Corporation or at any place in India/abroad depending upon the requirement of the Corporation.

3. आयु सीमायोग्यता एवं योग्यता उपरांत अनुभव की गणना की निर् ,धारित तिथि ऑन लाइन आवेदन भरने की निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात-**27/12/2021** होगी |यदि किन्हीं प्रशासनिक लाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा-तकनीकी कारणों से ऑन /भी दी जाए तो सभी योग्यता मानदंडों का निर्धारण करने के लिए दी गई निर्धारित तिथि अपरिवर्तित अर्थात **27/12/2021** ही रहेगी |
   The **cut-off date** for reckoning Age Limit, qualification and Post Qualification Experience would be closing date prescribed for filling online application **i.e. 27/12/2021**. The cut-off date for determining all eligibility criteria **i.e. 27/12/2021** would remain same even if the closing date for submission of online application is extended for administrative / technical reasons.

4. ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि अर्थात-**27/12/2021** तक अभ्यर्थियों की अर्हता डिग्री पूर्ण हो जानी चाहिएअंतिम | वर्षअंतिम सेमेस्टर में / बैठने वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के लिएपात्र नहीं हैं|
   Candidates should have completed their qualifying degree as on closing date of online submission of application **i.e. 27/12/2021 Candidates appearing in Final Year / Final Semester are not eligible to apply**.

5. जहाँ भी योग्यता उपरान्त अनुभव निर्धारित किया गया है अभ्यर्थी अपनी |के लिए गणना निर्धारित प्रोफेशनल योग्यता उत्तीर्ण करने के पश्चात की जाएगी , योग्यता उपरांत अनुभव वर्ष एवं माह जैसे कि केवल **2 वर्ष 11 माह में स्पष्ट रूप से दर्शाएं न कि राउंड आफ में यथा 3वर्ष |** तिथि की गणना अंतिम अंक तालिका |प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि से की जाएगी/
   Wherever Post Qualification experience is prescribed, it will be calculated only after passing the prescribed professional qualification. Candidate should indicate exact post qualification experience in Years & Months e.g. **2 Years 11 Months only and the same should not be rounded off to 3 years.** The date will be calculated from the date of issuance of final mark sheet / certificate.

6. स्नातक एवं प्रोफेशनल योग्यता प्रतिशतता के कॉलम में स्पष्ट रूप से प्रतिशतता जैसे कि **59.9%** दर्शाई जाए न कि राउंड आफ में अर्थात **60%.**
   Exact percentage of marks only should be mentioned in Graduation and Professional Qualification percentage of marks column e.g. **59.9% and the same should NOT be rounded off to 60%.**

7. अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय AICTE/UGC से संस्थान एवं पाठ्यक्रम के अनुमोदनडीन द्वारा /मान्यता के समर्थन में संस्थान के प्रधानाचार्य/ पत्र प्रस्तुत करना होगा।-जारी संबंधित प्रमाण
   Candidates are required to produce relevant certificate from the Principal / Dean of the Institute in support of approval / recognition of the Institute & Course by AICTE/UGC at the time of document verification.

8. जिन अभ्यर्थियों को CGPA प्रणाली के तहत ग्रेड प्रदान किए गए हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय विश्वविद्यालय संस्था द्वारा जारी प्रमाण जिसमें / CGPA ग्रेड को समुचित प्रतिशतता में परिवर्तन करना दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा। ,
   Candidates who are awarded Gradations under the CGPA system are required to produce proof issued by the University / Institute converting the CGPA Gradations into appropriate percentage at the time of document verification.

9. ऑन ,लाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व-**अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनकार्य अनुभव ,शैक्षणिक योग्यता ,लाइन विज्ञापन में प्रकाशित आयु- एवं अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सभीपात्रता मापदंडों को पूरा करते है |यदि अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं तो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी यदि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया में उत्तीर्ण हो जाता है एवं बाद में यह पाया जाता है कि वह |पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी एवं यदि नियुक्त कर दिया गया है तो बिना किसी नोटिस या क्षतिपूर्ति के उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी |**
   Before submitting the online application, **the candidate must ensure that he/she fulfils all the eligibility criteria with respect to age, educational qualifications, work experience and other requirements as published in the online advertisement. If the candidate is not eligible, his / her candidature will be cancelled at any stage of the recruitment. If the candidate qualifies in the selection process and subsequently, it is found that he/she does not fulfil the eligibility criteria, his/her candidature will be cancelled and if appointed, services so obtained will be terminated without any notice or compensation**.

10. ऐसे ऑनलाइन आवेदनों, जिनमें पात्रता सिद्ध करने के लिए गलतगुमराह करने वाली जानकारी/ दी गई हैं, के विषय में पता लगते ही अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा एवं नियुक्ति के पश्चात किसी भी समय इस संबंध में पता लगने पर अभ्यर्थी को एनपीसीआईएल की सेवाओं से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एनपीसीआईएल ऐसे अभ्यर्थियों से इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं करेगा।
    Online applications containing incorrect / misleading information leading to eligibility will lead to the candidate being disqualified, as and when detected, irrespective of the stage of selection process and will also lead to dismissal from services of the NPCIL, on its detection at any time after appointment. NPCIL will not entertain any correspondence from these candidates.

11. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अजा ,अपिव के सभी अभ्यर्थी/अजजा/जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व मूल प्रति के साथ ,सत्यापित प्रति-सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे। ओ प्रमाणपत्र .सी.बी.हाल ही में जारी किया हुआ होना चाहिए जिसमें क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर की स्थिति के विषय में-नॉन/स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी .सी.बी.केवल वे ओ) जिनके पास गैरपत्र है-क्रीमी लेयर का प्रमाण-, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण के लिए पात्र हैं। अपिव के अभ्यर्थी(ऑनलाइन आवेदन करते समय क्रीमी लेयर (जो लागू हो) क्रीमी लेयर-नॉन/ की स्थिति स्पष्ट करेंगे |

All candidates belonging to SC/ST/OBC category shall produce self-attested copy of the caste certificate in the prescribed 'Central Government' format from the Competent Authority empowered to issue such certificate along with originals for verification at the time of documents verification. OBC certificate should be latest with suitable mention about Creamy layer / Non – Creamy layer status (OBC candidates with certificate having the "Non-Creamy Layer Clause" only will be eligible for reservation as per Government of India guidelines). The OBC applicants have to indicate their status as “Creamy Layer” or “Non Creamy Layer” as the case may be while filling online application.

12. अभ्यर्थियों की नियुक्ति उचित माध्यम से जाति प्रमाणपत्र के सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों के सत्यापन होने तक अनंतिम रहेगी यदि उपर्युक्त सत्यापन में पता | चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत **अजा/अपिव/अजजा/. बे.नि. / ईडब्ल्यूएस** श्रेणी का होने का दावा एवं अन्य प्रमाणपत्र असत्य हैं तो उसकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगीएनपीसीआईएल | के पास अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसे असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए आगे यथोचित कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है |

The candidate's appointment will remain provisional subject to caste certificate being verified through proper channel and verification of testimonials. The candidate's services will be liable to be terminated forthwith without assigning any reason in case the above verification reveals that his/her claim for belonging to **SC/ST/OBC/PwBD/EWS** category and other testimonials is found false. NPCIL also reserves its right to take such further action against the candidate, as it may deem proper, for production of such false certificates and testimonials.

13. ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी आय एवं संपत्ति का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। “यदि नियुक्ति हो जाती है ,तो वह आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापित होने तक अनंतिम रहेगी। यदि सत्यापन में ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा जाली पाया जाता हैअसत्य/तो उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी और जाली असत्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अंतर्गत बिना पूर्वाग्रह के कार्रवाई की जाएगी। ”

All the candidates belonging to EWS category have to produce valid Income and Assets Certificate issued by a Competent Authority in the prescribed format. “Appointment, if any, shall be provisional and subject to the Income and asset certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/false certificate.”

14. सफल अभ्यर्थी की यथोचित पद पर नियुक्ति होने पर वेतन मैट्रिक्स में वेतन के अतिरिक्त प्रयोज्य केंद्रीय महँगाई भत्ता एवं समयसमय पर प्रदत्त निगम के - अन्य लाभ जैसे कि छुट्टी रियायत भत्ता , उपदान, चिकित्सा सुविधा, विभागीय आवास आदि के लिए नियमानुसार पात्र होंगे।

In addition to Pay in Pay Matrix, successful candidates on appointment to applicable grade will be eligible for applicable Central Dearness Allowance and other benefits of the Corporation provided from time to time such as Leave Travel Allowance, Gratuity, Medical Facility, Departmental Accommodation etc. as applicable.

15. बेंचमार्क निशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम निशक्तता 40% हैश्रेणी जैसे-निशक्तता की उप | की आटिज्म स्पेकट्रम डिसऑर्डर **–** अल्प अथवा अत्यल्प**,** दर्शाई जाए | बेंचमार्क निशक्तजन श्रेणी अभ्यर्थियों के पास इस संबंध में बोर्ड द्वारा जारीमुख्य चिकित्सा /चिकित्सा अधीक्षक / सरकारी चि/अधिकारीकित्सालय के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र हो |

The minimum disability in case of PwBD candidates is 40%. Sub-category of disability, e.g. Autism Spectrum Disorder – Mild or Moderate is to be indicated. The PwBD candidates shall possess a Certificate to this effect issued by the Board/countersigned by the Medical Superintendent/Chief Medical Officer/Head of Hospital of Government.

16. यदि अनुसूचित जातिहिंदी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में जारी किया /पीडब्ल्यूडी का प्रमाणपत्र अंग्रेजी/ईडब्ल्यूएस/(नॉन क्रीमी लेयर) अपिव/जनजाति/ गया है तो अभ्यर्थी को उस प्रमाणपत्र की स्व प्रमाणित अनुवादित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

If the SC/ST/OBC (Non Creamy Layer) /EWS/PwBD certificate has been issued in a language other than English / Hindi, the candidate will be required to submit a self certified translated copy of the same either in English or Hindi.

17. बधिर अभ्यर्थियों को श्रवण यंत्र हियरि)ंग एड्स (का प्रयोग करने की अनुमति है इसके लिए ,यंत्र की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी |

The Hearing Impaired candidates are allowed to use Hearing Aids and the device should be arranged on their own.

18. सभी निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं पूर्णकालिकअन्यथा ऐसी योग्यता पर विचार नहीं किया ; संस्थान से होनी चाहिए/नियमित एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय , |जाएगा

All the prescribed essential qualifications should be of **full time, regular and from recognised University/Institution**; otherwise such qualification will not be considered.

19. **अधिक अर्हता:** जहां तक योग्यता मापदंडों का संबंध है भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता ,की पूर्ति होनी चाहिए । न्यूनतम योग्यता के बाद एवं उससे ऊपर उच्चतर योग्यता सहित अन्य किसी योग्यता के कारण सभी विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षाकौशल परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य / नहीं ठहराया जाएगा।।

Over-Qualification: As regards the qualification criteria, minimum qualification prescribed for recruitment has to be fulfilled. Any other qualification including higher qualification over and above the minimum qualification will not disqualify the candidate to appear in written examination/skill test for all the advertised posts.

20. केवल निर्धारित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही संबंधित पदों के लिए लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा/में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षाकौशल परीक्षा/ की तिथि स्थान एवं अन्य सूचनाओं ,समय ,के बारे में अलग से सूचना केवल हमारी वेबसाइट www.npcilcareers.co.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

Candidates meeting the prescribed standard of eligibility will only be allowed to appear in written examination / skill test for respective posts. A separate communication about the date, timing, venue and other information about the written examination/ skill test will be provided only at our website www.npcilcareers.co.in

21. इलेक्ट्रानिक उपकरणों जैसे- मोबाइल फोन इलेक्ट्रानिक इयर , ,इलेक्ट्रानिक कलाई घड़ी ,फोनइयर / बड्स, कलाई घड़ी फोन मल्टीमीडिया घड़ियाँ, पेजर्स पेन स्कैनर या ऐसे कोई अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण को ,कैलकुलेटर ,परीक्षा हॉल के भीतर ले जाने की अनुमति नहीं है।किताबें नोट्स अथवा / इससे सम्बंधित अन्य कोइ वस्तु आदि को परीक्षा हॉल में ले जाने की अनुमति नहीं है। इन निर्देशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी |

Electronic gadgets such as mobile phones, electronic wrist watches, electronic earphones/ear buds, wrist watch phones, multimedia watches, pagers, calculator, pen scanners or any other such electronic devices are not permitted inside the premises of Examination Hall. Likewise, books/notes or any such related materials shall not be permitted in the examination halls. Any infringement of these instructions shall entail cancellation of their Candidature.

22. ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्रराज्य सरकार/, एनपीसीआईएल सहित केंद्रराज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/, स्वायत्त निकायों, अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत हैं ,उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ,ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता स्वीकार नहीं की जाएगी| ऐसे अभ्यर्थी वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य लाएं इसके बिना उन्हें ,लिखित परीक्षा कौशल/परीक्षा/ वैयक्तिक साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Candidates working in the Central/State Government, Public Sector Undertakings of Central/State Government (including NPCIL), Autonomous Bodies, Aided Institutions are required to produce NOC from the present employer failing which their candidature will not be accepted. Such candidates must bring NOC from the present employer without which they will not be allowed to appear in the Written examination/Skill test/Personal Interview.

23. कॉरपोरेशन में अभ्यर्थी का अंतिम चयन निर्धारित प्राधिकारी द्वारा चिकित्सीय रूप से स्वस्थता प्रमाणपत्र, चरित्र एवं पूर्ववृत्त तथा विशेष सुरक्षा (.ए.एंड.सी) क्यू.एस.एस) प्रश्नावली.(के सत्यापन, जाति प्रमाणपत्र एवं- बेंचमार्क निशक्तजन प्रमाणपत्र(यदि लागू हो तो (के सत्यापन के अधीन होगा।

The final selection of the candidate in the Corporation will be subject to medically fit certification by the prescribed authority, verification of Character & Antecedents (C&A) and Special Security Questionnaire (SSQ), verification of Caste Certificates & PwBD certificate (if applicable).

24. लिखित परीक्षा कौशल परीक्षा/के लिए बाहर से बुलाए गए अनुसूचित जाति जाने-अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आने/का द्वितीय श्रेणी रेल किराए अथवा सामान्य बस किराए की प्रतिपूर्ति नियमानुसार की जाएगी। तथापि अनुसूचित जातिराज्य सरकार/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो केंद्र/, केंद्रराज्य के निगमों/, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में सेवारत हैं, उन्हें यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

Outstation candidates of SC/ST category called for written examination/skill test shall be reimbursed to and fro IInd Class Rail or ordinary Bus fare as per rules. However, SC/ST candidates those who are already in service of Central/State Government, Central/State Corporations, PSUs, Local Government Institutions and Panchayats, shall not be paid travelling allowance.

25. योग्यता मापदंड पूरा नहीं करने वाले अथवा जाति प्रमाणपत्र-, यात्रा टिकट आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षाकौशल / परीक्षामें भाग लेने के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी |

Travelling expenditure shall not be reimbursed to candidates for attending written examination/ skill test, if they do not fulfil the eligibility criteria or do not produce documents like Caste Certificate, journey tickets etc.

26. एनपीसीआईएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि विज्ञापित पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलता है तो वे किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं करेंगे।

NPCIL reserves the right not to select any of candidate(s) for the advertised post if suitable candidate is not found.

27. पद के लिए वांछित योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं|

Candidates possessing requisite qualification for the post are only eligible to apply.

28. अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में भाग ले रहें या/परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी, आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं। अतः उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।

Those candidates who are **appearing in or awaiting result of final year/final semester are not eligible to apply**. Hence their candidature shall not be considered.

29. इस भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर जिसमें भर्ती या ज्वाइनिंग भी शामिल है, पर यदि निम्नलिखित में से कुछ भी पाया जाता है तो उक्त आवेदक एनपीसीआईएल में सभी नियुक्तियों के लिए अयोग्यअ ,भियोजित और विवर्जित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा तथा उसका आवेदन नियुक्ति/तुरंत निरस्त कर दी जाएगी |

At any stage of this recruitment process including after recruitment or joining, if any of the following is detected, the said applicant will be liable to be disqualified, prosecuted and debarred for all appointments in NPCIL and his/her application/appointment will be rejected forthwith.

यदि आवेदक ने If the applicant:-

a. गलत सूचना दी हो या असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किया हो; अथवा has provided wrong information or submitted false documents; or
b. संगत सूचनाओं को छिपाया हो; अथवा has Suppressed relevant information; or
c. उस पद के लिए निर्धारित योग्यता मापदंडों को पूरा नहीं करता हो; अथवा does not meet the eligibility criteria prescribed for the post; or
d. भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी अनुचित साधन का प्रयोग किया हो ;अथवा has resorted to unfair means during the Recruitment process; or
e. छद्म व्यक्तिता का दोषी पाया जाता है ;अथवा is found guilty of impersonation; or

f. परीक्षा केंद्र पर लिखित परीक्षा के सुचारू संचालन को प्रभावित करने के लिए व्यवधान पैदा किया हो; अथवा has created disturbance affecting the smooth conduct of the Written Examination at the test centre venue; or

g. गैर मानव अथवा असंगत फोटोग्राफ अपलोड किया हो has uploaded non-human or irrelevant photograph

30. अभ्यर्थी द्वारा एक ही पद के लिए अनेक दो आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में केवल /नवीनतम आवेदन पर ही आगे विचार किया जाएगा |
In case of multiple / duplicate application for the same post by a candidate only latest application will be taken into account for further consideration.

31. प्रश्न पत्र द्विभाषी होंगें (अंग्रेजी/हिंदी)
Question papers will be bilingual (Hindi/English).

32. **लिखित |जाने एवं बैठने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी-कौशल परीक्षा केंद्र पर निशक्त अभ्यर्थियों के लिए आने/**
Necessary assistance for access & seating will be provided to PwBD candidates at the Written / Skill Test centre.

33. अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के **सत्यापन के समय मूल दस्तावेजों के साथ उनके मामले में यथाप्रयोज्य निम्नलिखित प्रमाणपत्रों-दस्तावेजों की स्व/ सत्यापित प्रतियाँ ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी**-:
Candidates are required to submit invariably **self-attested copy of the following certificates/documents as applicable to his /her case along with the print out of online application and admit card at the time of document verification with originals**:-

a. जन्म तिथि प्रमाण के रूप में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्रएसएससी अंक तालिका।/
Birth Certificate issued by the Competent Authority in the prescribed format by the Government /SSC Mark Sheet as a proof of Date of Birth.

b. सभी शैक्षणिक प्रोफेशनल एवं तकनीकी ,योग्यताओं से संबंधित अंक तालिकाएं एवं प्रमाणपत्र। प्रत्येक वर्ष अथवा प्रत्येक सेमेस्टर की अंकतालिका अनिवार्य है।
Mark Sheets and Certificates of all Educational, Professional and Technical Qualifications. Mark Sheet of each year or each semester is must.

c. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र/सेवा प्रमाणपत्र, जिसमें सेवा की अवधि, अनुभव की प्रकृति जैसेकि पूर्ण कालिक/अंशकालिक, पदनाम एवं कार्य या जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो|
Experience Certificate/Service Certificate issued by the Employer indicating the period of service, nature of experience like full time/part time, designation and details of job or responsibilities clearly.

d. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र|
Caste Certificate issued by the Competent Authority in the prescribed Central Government format.

e. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय एवं संपत्ति का प्रमाण-पत्र ।
Valid Income and Assets Certificate issued by a Competent Authority in the prescribed format.

f. एक्स-सर्विसमैन के मामले में डिस्चार्ज प्रमाणपत्र | Discharge Certificate in case of Ex-Servicemen.

g. बेंचमार्क निशक्त जन के मामले में निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निशक्तता प्रमाणपत्र |
Disability Certificate issued by the Competent Authority in the prescribed format in respect of Person with Benchmark Disabilities (PwBD).

h. शारीरिक रूप से निशक्तजन जो वैसे तो लिपिकीय पद धारण करने हेतु योग्य हैं तथा टाइप करने में असमर्थ हैं, उनके लिए विशेष नियोजन कार्यालयों से संबद्ध मेडिकल बोर्डअथवा जहाँ) बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन द्वार(द्वारा जारी प्रमाणपत्र- |
Certificate issued by Medical Board attached to Special Employment Exchanges for the disabled (or by a Civil Surgeon where there is no such board), in respect of physically disabled persons who are otherwise qualified to hold clerical post and unable to type.

i. यदि अभ्यर्थी ने एनपीसीआईएल में संविदा पर कार्य किया हो तो ठेकेदार द्वारा जारी एवं एनपीसीआईएल प्रभारी अभियंता द्वारा अग्रेषित अनुभव प्रमाणपत्र/सेवा प्रमाणपत्र जिसमें सेवा की अवधि, वर्क आर्डर नं., पदनाम एवं कार्य या जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप दर्शाया गया हो|
If the candidate has worked in NPCIL on Contract, Experience/Service Certificate issued by the Contractor duly forwarded by Engineer-in-charge, NPCIL having indicating the period of service, work order no., designation and details of job or responsibilities clearly.

j. यदि अभ्यर्थी ने एनपीसीआईएल में नियतकालिक आधार पर कार्य किया हो तो एनपीसीआईएल द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र/सेवा प्रमाणपत्र जिसमें सेवा की अवधि, पदनाम एवं कार्य या जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप दर्शाया गया हो|

If the candidate has worked in NPCIL on Fixed Term Basis, Experience/Service Certificate issued by NPCIL having clearly indicating the period of service, designation and details of job or responsibilities.

k. कोई अन्य संगत प्रमाणपत्र (यथा प्रयोज्य)Any other relevant certificates (as applicable).

34. **दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा |**
The schedule of documents verification will be intimated separately.

35. आवेदक को उसके द्वारा प्रस्तुत ऑन |लाइन आवेदन प्रपत्र में दर्शाई गई सूचनाओं के आधार पर परीक्षा की अनुमति दी जाएगी-अतः सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि वे सभी योग्यता शर्तों की पूर्ति करते होंयदि बाद में किसी स्तर पर पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत | की गई सूचना गलत है अथवा अभ्यर्थीकिसी अन्य योग्यता शर्त को पूरा नहीं करता है तो ऐसे आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा|

The applicant would be admitted to the examination on the basis of the information furnished by him/her in the online application form. It is therefore advised to ensure that they fulfil all the eligibility conditions before applying. In case it is found at a later stage that the information furnished by an applicant is false or an applicant does not fulfil any other eligibility conditions, the candidature of such applicant would be cancelled and no correspondence in this regard would be entertained.

36. अचयनित उम्मीदवारों का रिकोर्ड जैसे की आवेदन प्रपत्र, प्रश्नपत्र, एवं उत्तर पत्रक आदि को चयन सूची बनाये जाने की तिथि से छमाह के बाद की : | अवधि लिये सुरक्षित नहीं रखा जायेगा
Record of the non-selected candidates viz. application form, question papers & answer sheets (selected/non-selected) etc. shall not be preserved beyond six months from the date of drawal of select list.

37. परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा नियुक्ति पूरी तरह से सभी योग्यता |शर्तों की पूर्ति करने एवं चयन के लिए निर्धारित मापदंडों में अर्हता प्राप्त करने पर आधारित होगी |
Issuance of an admit card for the examination will not confer any right for appointment. Appointment will be solely subject to fulfilment of all the eligibility conditions and qualifying in the selection criteria prescribed.

38. एक बार प्रविष्ट ईमेल आईडी एवं- मोबाइल नंबर अंतिम होगा |इसमें किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी |
Email id and mobile number once entered is final. No change will be allowed.

39. किसी भी रूप में सिफारिश को अयोग्यता का कारण माना जाएगा।
Canvassing in any form shall be a reason for disqualification.

40. किसी भी विवाद के मामले में न्याय क्षेत्र बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश होगा।
In case of any dispute, jurisdiction shall be at Bulandshahr, Uttar Pradesh.

41. कॉरपोरेशन के पास किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए अथवा सूचित किए बिना इस सम्पूर्ण भर्ती एवं चयन प्रक्रिया को संशोधितविस्तृत /निरस्त/ करने का अधिकार सुरक्षितहै ।
Corporation reserves the right to modify/cancel/expand the whole process of this recruitment and selection process at any stage without assigning any reason or intimation.

42. अचयनित अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्रव्यवहार नहीं किया जाएगा।
No correspondence will be made with the candidates not selected.

43. इस प्रक्रिया/शुद्धिपत्र/अपडेट/अनुशेष आदि से संबंधित आगे की सभी उद्घोषणाएं विवरण/समय समय पर केवल एनपीसीआईएल की वेबसाइट- **www.npcilcareers.co.in** पर प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे ।
All further announcements/details pertaining to this process/updates/corrigendum/addendum etc. will only be displayed/provided on NPCIL website **www.npcilcareers.co.in** from time to time.

44. विज्ञापन के हिंदी रूपान्तर में किसी प्रकार की विसंगति की दशा में अंग्रेजी का प्रारूप ही सभी प्रयोजनों हेतु मान्य होगा।
In case of any discrepancy in Hindi version of the advertisement, English version will prevail for all purposes.

45. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा / साक्षात्कार केंद्र पर कोविड -19 के प्रसार की रोकथाम हेतु प्रयोज्य एस.ओ.पी. का अनुपालन किया जाएगा |.
Candidates have to comply with SOP applicable on preventive measures at examination centre/Interview venue to contain spread of Covid-19.

****